प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :--जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी0)

> वन अधिकार अधिनियम. 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम

> > तहसील-भनोली. जिला-अल्मोडा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोडा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतू 0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.215 है0 सिविल सोयम भूमि अर्थात कुल 0.215 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 17/9/14) को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेत् आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तेल्ही के ग्रामवासियों की उक्त वन भूमि कि कि उन्हों प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / ग्राम्य हैं। ग्राम प्र**थमन** पंचायत मनीआगर वि० ख०-बौलादेदी, जिला - अत्मोडाः

प्रपत्र-23.1

दिनांक 1>/9/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत तोली मिनकाश

कमांक	ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	X1-64415	Frank .
2.	जी।विद्यासिं विनाता	1
3.	नर्न् वनाता	Fordsop
4.	महेश वनाला	Mus
5.	रवान्द्र वनामा	HEZI anh
		Ruy

शुरुद्धी देशें ह0 हा मान्यामनी आगर् विक ख०-धोलादेशी, जिला - खल्मोड़ा,

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :--जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भनाली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम् 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, जैली-अनेटी

उपखण्ड जैते न्मनेले परिक्षेत्र के अन्तर्गत (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.215 हे0 सिविल सोयम भूमि, अर्थात कुल 0.215 हे0) का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भनोली) की को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उन्हान का अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री अनिल कुमार चन्याल, उपजिलाधिकारी, भनोली, अध्यक्ष
- 2- श्री अमरेश कुमार, उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य
- 3— श्री किशन सिंह जड़ौत, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, धौलादेवी, सदस्य / सचिव

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी०) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम, वन प्रमाग, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड जैती आनी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 0.215 है0 वन भूमि नि०ख० लो०नि०वि०, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उ	प जेलांख	- 31/0-1	्रवीप यक्ष
उपखण्ड		मा स्मिका	र समिति
तहसील-	-17dl:	अनोली	***********
जनपद	जाल	1516	********

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील-जिती अनीली जनपद अल्पेडी

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद—अल्मोड़ा के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 0.215 हे0 वन भूमि नि०ख0, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति जिले क्ये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति जिले क्ये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण—पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

हप जिलाधिकारी होती/मनोली

चिला समाज कत्याण अधिकाणी सन्मोड़ा ह0/- जिला अधिकारी जिलाधिकारी बल्मोड्डा

परियोजना का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में तोली से मैचून मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 2.00 किमी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद अल्मोडा में तहसील भनोली के अन्तर्गत तोली से मैचून मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 0.215 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह आदिकालीन समुदाय (Primitive Tribal Groups) कृषि व (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

विका समाज कल्याण अधिकारी सल्लोड्डा जिलाधिकारी अल्मोडा अल्मोडा

FORM-1

Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almora

No	Timora
	Dated

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.215 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Construction Division P.W.D Almora Uttarakhand for Construction of Toli to Maichun Motor Road (2.00 km.) in Almora district falls within jurisdiction of Toli, Maichun. Jaal bagadi Village (s) in Bhanoli tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 0.215 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it:- YES
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Preagricultural at communities:- YES

Encl: As above

Vinod kumar suman

District Collector, Almora

ANNEXURE-1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committe

Dated:

FORM-II

Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almora

No	Dated	

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 0.215 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Construction Division P.W.D Almora Uttarakhand for Construction of Toli to Maichun Motor Road (2.00 km.) in Almora district falls within jurisdiction of Toli, Maichun. Jaal bagadi Village (s) in Bhanoli tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **0.215** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given t heir consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Toli, Maichun. Jaal bagadi villages (s) is enclosed as annexure.....
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

ब्ला हुर्याज कत्माण स्विकाची स्वाहराज Vinod kunfar suman District Collector, Almora